मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2010—आषाढ़ 29, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. 4324-इक्कीस-अ(स्था)2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2010.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

2. **परिभाषाएं**.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन चयन के लिये संचालित परीक्षा;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, की राज्य विधिक सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—(1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट होगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) सेवा के सदस्यों को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24-1-2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत समयमान वेतनमान की पात्रता होगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा, विभिन्न अनुसूचियों में दर्शित पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों द्वारा;

(ख) अनुसूची-दो तथा चार में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख) तथा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीके में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.**—(1) सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

आयु.—

(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु से अधिक आयु पूरी न की हो;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी सरकारी सेवक हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण.—पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य या किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किए जाने के कारण छंटनी किया गया हो.

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व संबंधित इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और —

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;

सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(3) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं), उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों.

(4) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरुप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो.

(ङ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में (10+5) पन्द्रह वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) उन अभ्यर्थियों के लिए जो, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के मामले भी उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) ऐसे अभ्यर्थियो के संबंध में जो, मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) नगर सेवा (होम गार्ड्स) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये;

(ट) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम (4) के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (1) (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए प्रवेश दिया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके बाद सेवा से त्याग-पत्र देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है, तो पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी.

(3) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में उपस्थित होने हेतु उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा.

(4) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में दर्शाई गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए.

परन्तु —

(क) अपवादिक मामले में, नियुक्त प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह समझ सकेगा, जिसके पास निर्धारित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने/चयन के योग्य समझता हो;

(ख) नियुक्ति, प्राधिकारी अपने विवेकानुसार परीक्षा में बैठने/चयन के लिए ऐसे अभ्यर्थी के मामलें पर भी विचार कर सकेगा जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हो जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो.

(5)**फीस.**— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा, साक्षात्कार या चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा.

(3) कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 2 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय से ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा.

(5) कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होंगी.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**—चयन/परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

(2) किसी स्तर पर चयनित अभ्यर्थी नियम 9 के अनुसार अर्हित पाया जाता है तो उसका/उसकी चयन तथा नियुक्ति आकृत और शून्य समझी जाएगी.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भरती.**—(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे;

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में रक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तयों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(5) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण होगा.

(6) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये विशिष्ट पद पर उपयुक्तता के आधार पर पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, वहां नियुक्ति प्राधिकारी सरकार से परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुभव की ऐसी शर्तों को युक्तियुक्त रूप से शिथिल कर सकेगा.

(8) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपलब्ध न हों सकें तो ऐसी रिक्तियां, किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जायेंगी और रिक्तियां यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के आरक्षित किए स्थानों की कुल संख्या (अग्रनीत केरिड फारवर्ड रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए) विज्ञापित की गई कुल रिक्तयों के 50 प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(9) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अन्तराल से किया जायगा, जिन्हें शासन निश्चित करें.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, किंतु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है.. योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन सूची, उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.

13. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन करने हेतु अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित होगी :

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामनिर्देशित किए गए अन्य संदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रस्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नत/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निदेश दे, किन्तु साधारणत: एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

(3) अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होगी.

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन—नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक पदोन्नति आदेश पर, इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**—उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिसने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है, या जिन्हें सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हों :

परन्तु आपाती कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन के सेवामुक्त अधिकारियों की सेवा की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उन्हें सा. प्रशा. वि. के दिनांक 21 अक्टूबर 1967 के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987/1(3)67 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया माना गया है.

(2) **पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति :—**

(क) सुसंगत वर्ष की जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कलैंडर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जायेगी.

(ख) पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हों. यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों को सम्मिलित कर एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उद्‌भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों की पूर्ति करने की दृष्टि से भी तैयार की जायेगी.

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अनुसार होगा.

(3) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के मापदंड के क्रम में रखे जाएंगे :

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

(4) कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे चयन सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वत्तर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

(6) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

17. **चयन सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगी और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगी.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगी तथा समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगी, जो उसकी राय में न्यायसंगत हों.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किए गये पदों से उक्त अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची, जब तक कि नियम 16 के उप नियम (6) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी. चयन सूची में व्यक्तियों की नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा उसकी प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गयी हो जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो.

19. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उस का विनिश्चय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती है. कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा भर्ती नियम, 1994 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित इन नियमों के अधीन किये गये किसी भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची—एक

(नियम 4 तथा 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा पदों की संख्या

अनु-क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
		भाग-क		
1	प्रमुख सचिव एवं प्रमुख विधि परामर्शी	1	प्रथम श्रेणी	उच्च न्यायिक सेवा का उच्चतम ग्रेड वेतन
2	सचिव एवं विधि परामर्शी	3	प्रथम श्रेणी	उच्च न्यायिक सेवा का द्वितीय उच्चतम ग्रेड वेतन.
3	अतिरिक्त सचिव एवं विधि परामर्शी	6	प्रथम श्रेणी	उच्च न्यायिक सेवा का ग्रेड वेतन तथा रुपये 800 विशेष वेतन प्रतिमाह.
4	अतिरिक्त सचिव (मुख्यालय दिल्ली)	1	प्रथम श्रेणी	उच्च न्यायिक सेवा का ग्रेड वेतन तथा रुपये 800 विशेष वेतन प्रतिमाह.
5	अतिरिक्त सचिव (मुख्यालय जबलपुर कार्यालय, महाधिवक्ता में पदस्थापना)* (यदि उच्च न्यायालय द्वारा इस पद के विरूद्ध कोई न्यायिक अधिकारी उपलब्ध नहीं कराया जाता है. तो विधिक सेवा से ऐसा अधिकारी संबंधित वेतनमान में उप सचिव के रूप में पद धारण करेगा).	1	प्रथम श्रेणी	उच्च न्यायिक सेवा का ग्रेड वेतन तथा रुपये 800 विशेष वेतन प्रतिमाह.
		भाग-ख		
1	अतिरिक्त सचिव एवं प्रमुख प्रारूपकार	1	प्रथम श्रेणी	रुपयें 37400—67000+8700 ग्रेड वेतन
2	मुख्य प्रारूपकार (अंग्रेजी)-सह-उप सचिव (प्रारूपण विधीक्षा)	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+7600 ग्रेड वेतन
3	मुख्य प्रारूपकार (हिन्दी)-सह-उप सचिव (अनुवाद)	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+7600 ग्रेड वेतन
4	उप सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+7600 ग्रेड वेतन
5	प्रारूपकार (अंग्रेजी)-सह-अवर सचिव (प्रारूपण एवं विधीक्षा)	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
6	प्रारूपकार (हिन्दी)-सह-अवर सचिव (हिन्दी प्रारूपण)	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
7	अवर सचिव, विधायी समिति	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
8	अवर सचिव (स्टेनोग्राफर संवर्ग)	1	-	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
9	अवर सचिव	2	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	सहायक प्रारूपकार-सह-अवर सचिव (प्रारूपण)	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
11	सहायक प्रारूपकार-सह-अवर सचिव (विधीक्षा)	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
12	स्टाफ आफीसर	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+6600 ग्रेड वेतन
13	लेखाधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	कोष एवं लेखा से उनके वेतनमान के अनुरूप प्रतिनियुक्ति पर.
14	सहायक संचालक, अनुवाद	1	द्वितीय श्रेणी	रुपये 9300—34800+4200 ग्रेड वेतन
15	सहायक संचालक, अनुवाद, विधायी समिति	1	द्वितीय श्रेणी	रुपये 9300—34800+4200 ग्रेड वेतन
16	प्रशासनिक अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	रुपये 9300—34800+4200 ग्रेड वेतन
17	विधिक सहायक (अनुभाग अधिकारी स्तर)	3	द्वितीय श्रेणी	रुपये 9300—34800+4200 ग्रेड वेतन
18	अनुभाग अधिकारी	10	द्वितीय श्रेणी	रुपये 9300—34800+4200 ग्रेड वेतन
19	निज सचिव	5	द्वितीय श्रेणी	रुपये 9300—34800+4200 ग्रेड वेतन
20	सांख्यिकी अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	रुपये 9300—34800+4200 ग्रेड वेतन
21	मुख्य ग्रंथपाल	2	द्वितीय श्रेणी	रुपये 9300—34800+4200 ग्रेड वेतन

अनुसूची—दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	कर्तव्यों पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या			अभियुक्तियां
			सीधी भर्ती	पदोन्नति	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			भाग-क			
1	प्रमुख सचिव एवं प्रमुख विधि परामर्शी	1	-	-	100 प्रतिशत उच्चतर न्यायिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर.	-
2	सचिव एवं विधि परामर्शी	3	-	-	100 प्रतिशत उच्चतर न्यायिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर.	-
3	अतिरिक्त सचिव एवं अतिरिक्त विधि परामर्शी	8	-	-	100 प्रतिशत उच्चतर न्यायिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			भाग-ख			
1	अतिरिक्त सचिव एवं प्रमुख प्रारूपकार.	1	–	100 प्रतिशत	–	–
2	मुख्य प्रारूपकार-सह-उप सचिव अंग्रेजी प्रारूपण, विधीक्षा.	1	–	100 प्रतिशत	–	–
3	मुख्य प्रारूपकार-सह-उप सचिव (हिन्दी प्रारूपण) अनुवाद.	1	–	100 प्रतिशत	–	–
4	उप सचिव	1	–	100 प्रतिशत	–	–
5	प्रारूपकार-सह-अवर सचिव (अंग्रेजी प्रारूपण एवं विधीक्षा).	1	–	100 प्रतिशत	–	–
6	प्रारूपकार-सह-अवर सचिव (हिन्दी प्रारूपण)	1	–	100 प्रतिशत	–	–
7	अवर सचिव, विधायी समिति	1	–	100 प्रतिशत	–	–
8	अवर सचिव (स्टेनो संवर्ग से)	1	–	100 प्रतिशत	–	स्टेनो संवर्ग (स्टाफ आफिसर की पद स्थापना से)
9	अवर सचिव	2	–	100 प्रतिशत	–	–
10	सहायक प्रारूपकार सह अवर सचिव (प्रारूपण).	1	–	100 प्रतिशत	–	–
11	सहायक प्रारूपकार सह अवर सचिव (विधीक्षा).	1	–	100 प्रतिशत	–	–
12	स्टाफ आफिसर	1	–	100 प्रतिशत	–	–
13	लेखाधिकारी	1	–	–	प्रतिनियुक्ति पर	–
14	विधिक सहायक (अनुभाग स्तर)	3	66 प्रतिशत (विभागीय उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे)	33 प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति पर	–
15	सहायक संचालक, अनुवाद	1	–	100 प्रतिशत	–	–
16	सहायक संचालक, अनुवाद विधायी समिति.	1	–	100 प्रतिशत	–	–
17	प्रशासनिक अधिकारी	1	–	100 प्रतिशत	–	–
18	अनुभाग अधिकारी	10	–	50% सहायक ग्रेड-1 के नियमित संवर्ग से 50% विधि स्नातक सहायक ग्रेड-1 से टिप्पणी 3 के अनुसार.	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	निज सचिव (हिन्दी बेक ग्राउंड)	3	–	100 प्रतिशत	–	–
20	निज सचिव (अंग्रेजी बेक ग्राउंड)	2	–	100 प्रतिशत	–	–
21	सांख्यिकी अधिकारी	1	–	100 प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति से भी भरा जा सकेगा.	सहायक ग्रेड 1 या अनुवादक में जो अर्थशास्त्र, (सांख्यिकी विषय के साथ) या वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि.
22	मुख्य ग्रंथपाल	2	–	100 प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति से भी भरा जा सकेगा.	–

टिप्पणी—1. अनुसूची-दो के भाग ख के कालम (2) में दर्शित पदों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण पास करने का प्रमाण-पत्र आवश्यक है.

टिप्पणी—2. अनुसूची-दो के भाग ख के अनुक्रमांक 2, 3, 5, 6, 7, 10 तथा 11 पर दर्शित पदों के लिए भारत सरकार, विधि मंत्रालय द्वारा संचालित विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण आवश्यक होगा.

टिप्पणी—3. अनुभाग अधिकारी के 50 प्रतिशत पद सहायक ग्रेड-एक विधि स्नातक से भरे जाएंगे.

टिप्पणी—4. अनुक्रमांक 10, 11, 14 तथा 15 में दर्शित पद उपयुक्तता परीक्षा संचालित करने के पश्चात् भरे जाएंगे. उन अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी जो इस विभाग के प्रारुपण/विधीक्षा/मत/अनुवाद शाखा में कार्य करने का अनुभव रखते हैं.

टिप्पणी—5. उपरोक्त समस्त पद जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, तत्समय प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जा सकेंगे.

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती हेतु आवश्यक अर्हता तथा सामान्य आयु सीमा

अनु-क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	उच्चतर आयु सीमा (4)	पद के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता (5)	अभ्युक्ति (6)
1	विधिक सहायक (अनुभाग अधिकारी स्तर)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. विधि में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है. 2. अंग्रेजी में एम. ए. आवश्यक है 3. कम्प्यूटर में कार्य करने की जानकारी अनिवार्य है. उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो कम्प्यूटर में उपाधि/डिप्लोमा रखते हैं.	

अनुसूची—चार

(नियम 14 तथा 15 देखिए)

पदोन्नत पद के लिए अनुभव तथा अर्हता

अनु-क्रमांक	पद का नाम जिनसे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कालम (3) में दर्शाए गए पद की पदोन्नति हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(एक) उपसचिव एवं मुख्य प्रारूपकार (अंग्रेजी प्रारूपण, विधीक्षा) (दो) उपसचिव एवं मुख्य प्रारूपकार (हिन्दी) अनुवाद.	अतिरिक्त सचिव एवं प्रमुख प्रारूपकार	5 वर्ष	1. प्रमुख सचिव — अध्यक्ष 2. सचिव (स्थापना) तथा प्रमुख सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सचिव — सदस्य. 3. अतिरिक्त सचिव (स्थापना) तथा प्रमुख सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अतिरिक्त सचिव — सदस्य. 4. अनु. जाति/अनु. जनजाति वर्ग का उपसचिव या अवर सचिव — सदस्य.
2	(एक) अवर सचिव एवं प्रारूपकार (अंग्रेजी) प्रारूपण एवं विधीक्षा. (दो) अवर सचिव एवं सहायक प्रारूपकार (प्रारूपण). (तीन) अवर सचिव एवं सहायक प्रारूपकार (विधीक्षा).	उप सचिव एवं मुख्य प्रारूपकार (अंग्रेजी) प्रारूपण तथा विधीक्षा.	5 वर्ष	—तदैव—
3	(एक) अवर सचिव एवं प्रारूपकार (हिन्दी प्रारूपण) (दो) अवर सचिव विधायी समिति	उप सचिव एवं मुख्य प्रारूपकार (हिन्दी) अनुवाद.	5 वर्ष	—तदैव—
4	(एक) अवर सचिव (दो) अवर सचिव (स्टेनो संवर्ग)	उप सचिव	5 वर्ष	—तदैव—
5	स्टाफ आफीसर	अवर सचिव (स्टेनो संवर्ग) पदस्थापना.	5 वर्ष	—तदैव—
6	निज सचिव	स्टाफ आफिसर	5 वर्ष	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	अनुभाग अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/ मुख्य ग्रंथपाल.	अवर सचिव	5 वर्ष	—तदैव—
8	विधिक सहायक (अनुविभाग अधिकारी स्तर)	सहायक प्रारूपकार एवं अवर सचिव.	5 वर्ष	—तदैव—
9	सहायक संचालक अनुवाद/ विधायी समिति.	(एक) अवर सचिव एवं प्रारूपकार (हिन्दी) अनुवाद. (दो) अवर सचिव विधायी समिति.	5 वर्ष	—तदैव—
10	निज सहायक	निज सचिव	5 वर्ष	1. सचिव (स्थापना) तथा प्रमुख सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सचिव जो उनमें से एक वरिष्ठ अध्यक्ष होगा. 2. अतिरिक्त सचिव (स्थापना) तथा प्रमुख सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अतिरिक्त सचिव. 3. विभागीय अतिरिक्त सचिव (विधि) —सदस्य. 4. अनु. जाति/अनु. जनजाति प्रवर्ग का अतिरिक्त सचिव/ उप सचिव या अवर सचिव —सदस्य.
11	मुख्य अनुवादक	सहायक संचालक अनुवाद/ विधायी समिति.	5 वर्ष	—तदैव—
12	उप मुख्य ग्रंथपाल	मुख्य ग्रंथपाल	5 वर्ष	—तदैव—
13	(एक) सहायक ग्रेड-एक	अनुभाग अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी 50 प्रतिशत.	5 वर्ष	—तदैव—
	(दो) विधि स्नातक सहायक ग्रेड-एक	अनुभाग अधिकारी 50 प्रतिशत	-	-

टिप्पणी—1. अनुसूची-दो के भाग-ख के कालम (2) में दर्शित पदों के लिए कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान आवश्यक है.

2. अनुसूची-चार के अनुक्रमांक 1, 2, 3, 8 तथा 9 में दर्शित पदों के लिए भारत सरकार, विधि मंत्रालय द्वारा संचालित विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण आवश्यक होगा.

3. अनुभाग अधिकारी के 50 प्रतिशत पद सहायक ग्रेड-एक से भरे जाएंगे जो विधि की उपाधि रखते हैं तथा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करते हों.

No. 4324-XXI-A-Est.-2010.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment and service conditions of the Class-I and Class-II Officers of the Law and Legislative Affairs Department, namely :—

RULES

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Legal Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the Service means the Government;

(b) "Committee" means the Departmental Promotion Committee or the Selection Committee as specified in Schedule IV;

(c) "Examination" means examination conducted for selection under rule 11;

(d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(f) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* Notification No. F-85-XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended from time to time;

(g) "Schedule" means each Schedule appended to these rules;

(h) "Scheduled Castes" means any castes race or tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect of the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of the India;

(j) "Service" means the Madhya Pradesh State Legal Service of Law and Legislative Affairs Department;

(k) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Application.**—With prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(i) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity, the posts specified in the Schedule-1;

(ii) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(iii) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Pay Scale etc.**—(1) The classification of the Service, the scale of pay attached thereto, and the number of posts included in the Service, shall be as specified in Schedule I :

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the Service either on permanent or temporary basis.

(2) The member of Service shall have eligibility of time pay scale under the provision of the circular dated 24th July 2008 of the Finance Department.

6. **Method of Recruitment.**—(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment, through competitive examination or interview or by both for the posts indicated in the various Schedules;

(b) By promotion of members of Service as specified in Schedule II and IV;

(c) By transfer on Deputation of persons who hold in substantive or officiating capacity such posts in such service as may be specified in this behalf by the State Government.

(2) The number of persons recruited under clause (a) clause (b) and clause (c) of sub-rule (I) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (I), if in the opinion of the appointing authority, the exigencies of the Service so require, the appointing authority may adopt such method of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf prescribe.

7. **Appointment to the Service.**—All appointments to the Service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment as specified in Rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**—(I) In order to be eligible to competitive examination/ selection for direct recruitment, a candidate should satisfy the following conditions, namely :—

(1) **Age.**—

(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not have exceed the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of examination/selection;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years in the case of candidates belongs to Scheduled Castes. Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates who are or have been the employees of the Madhya Pradesh Government to the extend and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate. who is a permanent Government Servant. should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate who is a temporary Government servant and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charged employees.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him up to a maximum limit of seven years, even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "Retrenched Government Servant" denotes a person, who was in temporary Government service of the State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who are retrenched because of reduction in establish must not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(d) A candidate who is an Ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defence services previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-serviceman" denotes a person, who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India, for a continuous period of not less than six months and who retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the concerning unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service:—

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on :—

(a) completion of short-term engagement.;
(b) fulfilling the conditions of enrollment.

(3) Officers (Military and Civil), discharged on completion of their contract including short Service Regular Commission Officer;

(4) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(5) Ex-serviceman, invalidated out of Service;

(6) Ex -serviceman, discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,

(7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shoot, wounds, etc.

(e) The general upper age limit shall be relaxable up to (10+5) Ten plus Five years in respect of the widow, destitute and divorced women candidates;

(f) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum two years for those candidates who are holding green cards under the family welfare programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter Caste Marriage Incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Class Welfare Department;

(h) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation / Boards;

(j) The general upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 3 years but in no case their age should exceed 38 years;

(k) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provision of rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997

(2) Candidates, who are admitted to the examination / selection under the age concessions mentioned in rule 8(1)(c)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination / selection. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case these age limits be relaxed.

(3) Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the examination / selection.

(4) **Educational Qualification**—the candidate must possess the educational qualifications prescribed for the Service as shown in Schedule-III:

Provided that—

(a) In exceptional cases on recommendation of the appointing authority, a candidate may be treated qualified, who though not possessing any of the qualification prescribed but has passed examination conducted by other institution by such standard due to which the appointing authority considers the candidate qualified to appear / selection in the examination;

(b) The appointing authority of his discretion may also consider upon the matter of such candidate to appear / selection in the exam who are otherwise qualified but who have taken degrees from such foreign universities which are the universities not specifically recognized by the Government.

(5) **Fees.**—The candidate shall have to pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**—(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination, interview or selection.

(2) A candidate shall not be eligible for any service or post who has married before attaining the age prescribed for marriage.

(3) A candidate shall not be eligible for any service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th January, 2001 :

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a Service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001, in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence against women:

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

(5) Male candidate who has more than one wife living and female candidate who has married a person having already a living wife shall not be eligible for appointment to any service or post.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidates shall be final.**—(1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility of a candidate for examination/ selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination / interview.

(2) At any stage a selected candidate found disqualified according to rule 9 then his/her selection and appointment shall be deemed null and void.

11. **Direct recruitment by competitive examination / selection.**—(1) Competitive examination / selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may determine from time to time.

(2) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon, Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) as amended and orders issued by the State Government from time to time.

(3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative ranks as compared with other candidates.

(4) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(5) There shall be horizontal reservation for women candidates In accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(6) The post may be reserved for handicapped candidates In accordance with the direction of General Administration Department on the basis of suitability for particular post accordingly.

(7) In such cases where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may reasonably relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes after the consultation with General Administration Department.

(8) If the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates remain unfilled due to non-availability of the candidates belonging to these classes, then such vacancies can not be filled up by the candidates of other classes, without prior permission of the Government and shall be kept vacant for the selection of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates:

Provided that at any time the total number of the seats reserved for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the carried forward vacancies) shall not be in excess of fifty percent of the total vacancies advertised.

(9) The selection for recruitment in service shall be made at such intervals, as the Government may determine.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee.**—(1) The selection committee shall prepare and forward a list to the appointing authority arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as determined by the selection committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes though not qualified by that standard, but are declared by the selection committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the select list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue.

13. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by Promotion.**—(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members as mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates :

Provided that if the nominated members other than the member presiding the departmental promotion committee/screening committee in respect of the post to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion / screening committee and the number of members of promotion / screening committee shall be extended to that limit.

(2) The departmental promotion committee shall meet at such intervals as directed by appointing authority but ordinarily not exceeding one year.

(3) For promotion of members of the service to the posts specified in Schedule - IV, the eligibility of candidate, selection procedure and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(4) Certification by appointing authority.- Appointing Authority shall on every promotion order issued by him, shall make endorsement to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhda Vergon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued keeping in view the provisions of the said Act and rules made by the State Government and he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. **Conditions of eligibility for promotion.**—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Departmental Promotion Committee shall consider the cases of all persons, who on first day of January of that year had completed not less than such number of years of service (whether officiating or substantively) on the posts from which the promotion is to be made or an any other posts or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule IV, and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that the services of the retired officers of the Emergency Commission and Short Commission shall be counted from the date from which they have been appointed in the service in accordance with the General Administration Department Memo No. 2266-1987(3)(6), dated 21st October, 1967 :

(2) Manner of computation for eligibility for promotion :-

(a) Period of qualifying service on 1st January of the relevant year. in which departmental promotion committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre / part of service / pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre / part of service / pay scale of the post.

(b) For the zone of consideration for promotion, the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 shall apply.

16. **Preparation of the list of the suitable candidates.**—(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the Service in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement / promotion during the course of one year starting from the date of preparation of select list. A reserve list of 25% of the number of persons included in the said list shall be proposed in order to fulfill unforeseen vacancies occurring during aforesaid period.

(2) The criteria for preparation of select list shall be as per provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) The name of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV, at the time of preparation of each select list:

Provided that any Junior Officer who in the opinion of the committee is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the higher place than that of the officer senior to him.

(4) A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those person considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

(6) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

17. **Select List.**—(1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by the Committee along with the other documents received from the Committee and unless it considers any change to be necessary, approve the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, he shall inform the Committee of the changes proposed and after taking into account the comments, if any of the committee, may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of the service from the posts specified in column (2) of Schedule IV to the posts specified in column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be remain in force for a period of one year, until it is review or revised according to sub-rule (6) of rule 16, but its validity shall not be extended beyond a period of 18 months from the date of its preparation :

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the appointing authority and the committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment in Service from the Select List.**—(1) Appointment of the persons included in the select list to the post borne on the cadre of the service shall be made in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. Appointment of persons in the select list shall follow the order in which the name of such candidates appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the selection committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision, thereon shall be final.

20. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules shall apply in such manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.**—Nothing contained in these rules, shall effect the reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and Saving.**—The Madhya Pradesh State Legal Services Rules, 1994 are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I

(See rule 4 and 5)

Classification of Service, Scale of Pay and Number of Posts

S. No. (1)	Name of the Post included in the service (2)	No. of Posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)
	PART-A			
1.	Principal Secretary and Principal Legal Remembrancer.	1	Class-I	Highest Grade Pay of Higher Judicial Service.
2.	Secretary and Legal Remembrancer.	3	Class-I	2nd Highest Grade Pay of Higher Judicial Service.
3.	Additional Secretary and Additional Legal Remembrancer.	6	Class-I	Grade Pay of Higher Judicial Service and Special Pay Rs. 800/- P.M.
4.	Additional Secretary (Head Quarter at Delhi).	1	Class-I	Grade Pay of Higher Judicial Service and Special Pay Rs. 800/- P.M.
5.	Additional Secretary (Head Quarter at Jabalpur Posted in the Office of A. G.)*(In case if no Judicial Officer is provided by the High Court against this post than officer from legal services will hold the post as Dy. Secy. in concerning scale.)	1	Class-I	Grade Pay of Higher Judicial Service and Special Pay Rs. 800/- P.M.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		PART-B		
1.	Additional Secretary and Principal Draftsman.	1	Class-I	Rs. 37400—67000+8700 Grade Pay
2.	Chief Draftsman (English)-cum-Dy. Secy. (Drafting and Vetting).	1	Class-I	Rs. 15600-39100+7600 Grade Pay
3.	Chief Draftsman (Hindi)-cum-Deputy Secretary (Translation).	1	Class-I	Rs. 15600-39100+7600 Grade Pay
4.	Deputy Secretary	1	Class-I	Rs. 15600-39100+7600 Grade Pay
5.	Draftsman (English)-cum-Under Secretary (Drafting and Vetting).	1	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
6.	Draftsman (Hindi)-cum-Under Secretary (Hindi Drafting).	1	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
7.	Under Secretary, Vidhai Samiti	1	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
8.	Under Secretary (from Stenographer Cadre).	1	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
9.	Under Secretary	2	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
10.	Assistant Draftsman-cum-Under Secretary (Drafting).	1	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
11.	Assistant Draftsman-cum-Under Secretary (Vetting).	1	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
12.	Staff Officer	1	Class-I	Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay
13.	Accounts Officer	1	Class-I	On deputation from Treasury and Accounts as per their Pay Scale.
14.	Asstistant Director, Translation	1	Class-II	Rs. 9300—34800+4200 Grade Pay
15.	Assistant Director, Translation (Vidhai Samiti).	1	Class-II	Rs. 9300—34800+4200 Grade Pay
16.	Administrative Officer	1	Class-II	Rs. 9300—34800+4200 Grade Pay
17.	Legal Assistant (Section Officer Level).	3	Class-II	Rs. 9300—34800+4200 Grade Pay
18.	Section Officer	10	Class-II	Rs. 9300—34800+4200 Grade Pay
19.	Private Secretary	5	Class-II	Rs. 9300—34800+4200 Grade Pay
20.	Statistical Officer	1	Class-II	Rs. 9300—34800+4200 Grade Pay
21.	Chief Librarian	2	Class-II	Rs. 9300—34800+4200 Grade Pay

SCHEDULE-II
(See rule 6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of the Post	No. of duty post	No. of duty post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment	By promotion	By transfer of persons from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PART-A			
1.	Principal Secretary and Principal Legal Remembrancer.	1	-	-	100% on deputation from Higher Judicial Service	-
2.	Secretary and Legal Remembrancer.	3	-	-	100% on deputation from Higher Judicial Service	-
3.	Additional Secretary and Additional Legal Remembrancer.	8	-	-	100% on deputation from Higher Judicial Service.	-
			PART-B			
1.	Additional Secretary and Principal Draftsman.	1	-	100%	-	-
2.	Chief Draftsman (English)-cum-Dy. Secy. (Drafting and Vetting).	1	-	100%	-	-
3.	Chief Draftsman (Hindi)-cum-Dy. Secretary (Translation).	1	-	100%	-	-
4.	Deputy Secretary	1	-	100%	-	-
5.	Draftsman (English)-cum-Under Secretary (Drafting and Vetting).	1	-	100%	-	-
6.	Draftsman (Hindi)-cum-Under Secretary (Hindi Drafting).	1	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Under Secretary, Vidhai Samiti	1	-	100%	-	-
8.	Under Secretary (from Steno Cadre).	1	-	100%	-	By posting from (Staff Officer) Steno Cadre.
9.	Under Secretary	2	-	100%	-	-
10.	Assistant Draftsman-cum-Under Secretary (Drafting).	1	-	100%	-	-
11.	Assistant Draftsman-cum-Under Secretary (Vetting).	1	-	100%	-	-
12.	Staff Officer	1	-	100%	-	-
13.	Accounts Officer	1	-	-	On deputation	-
14.	Legal Assistant (Section Officer Level).	3	66% or (Departmental candidates may also apply).	23%	On deputation	-
15.	Assistant Director, Translation	1	-	100%	-	-
16.	Assistant Director, Translation (Vidhai Samiti).	1	-	100%	-	-
17.	Administrative Officer	1	-	100%	-	-
18.	Section Officer	10	-	50% From regular cadre of Assistant Gr. I 50% From Law graduate Assistant Gr. I (As per Note-3)	-	-
19.	Private Secretary (Hindi Background)	3	-	100%	-	-
20.	Private Secretary (English Background)	2	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	Statistical Officer	1	-	100%	May also be filled on deputation	Assistant Gr. 1 or Translator who have Post Graduate in Economics with Statistics subject or Post Graduate in Commerce.
22.	Chief Librarian	2	-	100%	May also be filled on deputation.	-

Note 1.—Certificate of passing of the computer training is preferential for the posts shown in column (2) of Part B of Schedule II.

Note 2.—Legislative Drafting Training conducted by Ministry of Law, Government of India shall be preferential for the posts shown at serial No. 2, 3, 5, 6, 7, 10 and 11 of Part-B of Schedule-II.

Note 3.—50% post of Section Officer shall be filled from Law Graduate Assistant-Grade-I.

Note 4.—Posts shown at serial No. 10, 11, 14 and 15 to be filled after conducting the suitability test. Preference shall be given on the posts to those officers who are having working experience in Drafting/Vetting/Opinion/Translation Section of this Department.

Note 5.—All above posts which are filled by promotion may be filled up by deputation for time being purposes.

SCHEDULE-III
(See rule 8)

Essential Qualification and Age Limit for Direct Recruitment

S. No. (1)	Name of Post included in the Service (2)	Minimum Age Limit (3)	Upper Age Limit (4)	Educational and other qualification prescribed for the post (5)	Remarks (6)
1.	Legal Assistant (Section Officer Level)	18 years	35 years	1. Must possess Degree in Law. 2. Must be M.A. in English 3. Working knowledge of computer is essential. Preference shall be given to those who have Degree/ Diploma in Computer.	-

SCHEDULE-IV

(See rule 14 and 15)

Experience and other qualifications for promotion posts

S. No.	Name of the Post from which the promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Experience for promotion of the post shown in column (3)	Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(i) Deputy Secretary and Chief Draftsman (English) Drafting and Vetting. (ii) Deputy Secretary and Chief Draftsman (Hindi) Translation.	Additional Secretary and Principal Draftsman	5 years	1. Principal Secretary-**Chairman** 2. Secretary (Establishment) and one Secretary nominated by P. S.- **Member.** 3. Additional Secretary (Estt.) and one Addl. Secretary nominated by P. S. - **Member** 4. Deputy Secretary or Under Secretary belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribe Category - **Member**
2	(i) Under Secretary and Draftsman (English) Drafting and Vetting. (ii) Under Secretary and Assistant Draftsman (Drafting) (iii) Under Secretary and Assistant Draftsman (Vetting)	Deputy Secretary and Chief Draftsman (English) Drafting and Vetting.	5 years	—do—
3	(i) Under Secretary-cum-Draftsman (Hindi Drafting) (ii) Under Secretary, Vidhai Samiti.	Deputy Secretary and Chief Draftsman (Hindi) Translation.	5 years	—do—
4	(i) Under Secretary (ii) Under Secretary (Steno Cadre)	Deputy Secretary	5 years	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Staff Officer	Under Secretary (Steno Cadre) (Posted)	5 Years	1. Principal Secretary-**Chairman** 2. Secretary (Establishment) and one Secretary nominated by P. S.- **Member.** 3. Additional Secretary (Estt.) and one Addl. Secretary nominated by P. S. - **Member** 4. Deputy Secretary or Under Secretary belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribe Category - **Member**
6	Private Secretary	Staff Officer	5 Years	—do—
7	Section Officer/ Administrative Officer/ Statistical Officer/ Chief Librarian.	Under Secretary	5 Years	—do—
8	Legal Assistant (Section Officer Level)	Assistant Draftsman and Under Secretary.	5 Years	—do—
9	Assistant Director (Translation) Vidhai Samiti.	(i) Under Secretary and Draftsman (Hindi) Translation. (ii) Under Secretary Vidhai Samiti.	5 Years	—do—
10	Personal Assistant	Private Secretary	5 Years	1. Secretary (Establishment) and one Secy. nominated by the P. S. and Senior one of them will be the - **Chairman** 2. Addl. Secy. (Estt.) and two Addl. Secy. nominated by the P. S. - **Member** 3. Departmental Addl. Secretary (Law) - **Member** 4. Deputy or Under Secretary (Law) of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Category- - **Member**
11	Head Translator	Assistant Director Translation (Vidhai Samiti).	5 years	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Deputy Chief Librarian	Chief Librarian	5 Years	1. Secretary (Establishment) and one Secy. nominated by the P. S. and Senior one of them will be the - **Chairman.** 2. Addl. Secy. (Estt.) and two Addl. Secy. nominated by the P. S. - **Member.** 3. Departmental Addl. Secretary (Law) - **Member.** 4. Deputy or Under Secretary (Law) of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Category - **Member**
13	(i) Assistant Grade-1	Section Officer/ Administrative Officer 50%	5 Years	—do—
	(ii) Law Graduate Assistant Grade-1.	Section Officer 50%		

Note 1.—Working knowledge of computer is preferential for the posts shown in column (2) of Part-B of Schedule-II.

Note 2.—Legislative Drafting Training conducted by Ministry of Law, Government of India shall be preferential for the posts shown at serial No. 1, 2, 3, 8 and 9 of Schedule-IV.

Note 3.—50% post of Section Officers shall be filled up from Assistant Grade-1 who possess the Degree of Law ans have passed the suitability Test.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.